

फर्द अहकाम
(नियम-26)

अज अदालत

उप जिला कलक्टर

मुकाम

रायसिंहनगर

बनाम सुखराज
 किस्म मुकदमा दुरुस्ती मुकदमा नं. 129
7-618

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7/6/18	<p>आज यह पत्रावली तहसीलदार (भू.अ.) रायसिंहनगर के पत्र क्रमांक/18/299 दिनांक 7/6/18 के द्वारा राजस्व लोक अदालत "न्याय आप के द्वार-2018" कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत 7PS में प्रार्थीगण के नाम चक 5PS की जमाबन्दी सम्वत् 2082 के खाता नं. 15 में खातेदार सुखराज 506 इ. अ. के पत्नी (यत्न) र. र. श. का अंकित है। जिसका नाम सुखराज है। जिसकी दुरुस्ती की जाने की अभिशंषा की है।</p> <p>उक्त प्रकरण में तहसीलदार(भू.अ.) रायसिंहनगर की रिपोर्ट दिनांक 7/6/18 की पृष्टि मजमआम में उपस्थित ग्राम वारिसान व सरपंच ने की है। उक्त विवेचन के आधार पर वाके चक 5PS के खाता नं. 15 में दर्ज खातेदार सुखराज की दुरुस्ती की जाती है। बाकी अंकन बदस्तुर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती की जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार के नाम जारी हो। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p> <p>आदेश खुले मजमआम में सुनाया गया।</p>	<p>उपस्थित लोक अदालत न्याय सिंहनगर-2018 कैम्प कोर्ट 7PS उपखण्डाधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर</p>